सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : कु०स० 6779/2023 दिनाङ्क : 09.06.2023

कार्यालय-ज्ञाप

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध कतिपय महाविद्यालयों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार प्राचार्य/शिक्षकों के चयन हेतु विश्वविद्यालय से विषय-विशेषज्ञ प्राप्त कर साक्षात्कार की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण कर ली है किन्तु आज दिनांक 09.06.2023 तक चयन अनुमोदन का प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं कराया है। ऐसे महाविद्यालयों की साक्षात्कार प्रक्रिया अथवा चयन अनुमोदन प्रस्ताव विश्वविद्यालय को प्राप्त कराने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी जाती है। क्योंकि अनेक महाविद्यालयों में साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा माननीय उच्च न्यायालय में तत्सम्बन्धी रिट याचिकायें योजित की गयी हैं।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा जाँचोपरान्त पुनः विषय-विशेषज्ञ प्रदान करने के पश्चात ही साक्षात्कार एवं चयन-अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी। समस्त सम्बन्धित प्राचार्य/प्रबन्धक उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

09/6/2023

कुलसचिव
(राकेश कुमार)
आई०ए०एस०
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. आशुलिपिक कुलसचिव।
3. अधीक्षक एवं समस्त पटल सहायक, सम्बद्धता अनुभाग।
4. **प्राचार्य एवं प्रबन्धक, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।**
5. श्री मोहित मिश्र, प्रोग्रामर को इस आशय से कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त सं०म०वि० को उनके लॉगिन आई०डी० के माध्यम से प्रेषित कराते हुए विश्वविद्यालय वेब-साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
(राकेश कुमार)
आई०ए०एस०
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी